केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी

3899. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : श्री हुकम चन्द कछवाद : श्री युद्धवीर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय श्रौर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के कम-चारियों को स्थायी बनाने के मामले में श्रौर क्या प्रगति हुई है; श्रौर
- (ख) उक्त विभागों में कितने पद हैं श्रीर उन पर काम करने वाले कितने कम-चारियों को स्थायी कर दिया गया है?

श्विसा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) ग्रीर (ख). केन्द्रीय हिन्दी निदे-शालय ग्रीर शब्दावली ग्रायोग के ग्रस्थायी पदों के कुछ प्रतिशत को स्थायी बनाने का निर्णय ले लिया गया है ग्रीर इस विषय में ग्रन्तिम रूप से ग्रादेश शीझ ही जारी किये जायेंगे। ग्रस्थायी कर्मचारियों को ऐसे पदों पर स्थायी करने के लिए निकत धभविष्ट में ही ग्रावश्यक कायवाही की जाएगी।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का किसी ग्रन्य स्थान पर ले जाया जाना

3900. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : श्री हुकम सिंह कछवाय : श्री युद्धवीर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री 11 मई, 1966 के भतारांकित प्रश्न संख्या 5370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को किसी ग्रच्छे स्थान पर ले जाये जाने के सम्बन्ध में ग्रीर क्या प्रगति हुई है; ग्रीर
- (स्व) इस कार्यालय को कब तक नये स्थान पर ले जाया जायेगा?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) ग्रीर (ख). यह मामला दिल्ली में सरकारी कार्यालयों की ग्रावास-व्यवस्थ। करने वाली मंत्रिमंडल की समिति के विचाराधीन हैं ग्रीर निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की ग्राशा है।

Settlement Organisation

3901. Shri M. Rampure: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the employees of the Settlement Organisation of the Department of Rehabilitation, are still temporary in spite of their 18 years' service;
- (b) if so, the steps being taken to make them permanent; and
- (c) how much more time it will take?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) Yes, Sir, but all of them have not put in 18 years' service in the Organisation.

(b) and (c): Employees can be made permanent only against available permanent vacancies. As the work in the Chief Settlement Commissioner's organisation is not of a permanent nature, it has not been possible so far to convert the temporary posts in that organisation into permanent ones, according to the existing orders. A decision has now been taken according to which a percentage of temporary posts in such organisations can be made permanent. Action is in hand to implement this decision.

Aided Private Educational Institutions

3902. Shri Sarjoo Pandey: Shri Warior: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Vishram Prasad: Shri Yudhvir Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Parents Teachers' Council sub-